चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	राज्य/केन्द्र पोषित	आउट ले 2017–18 (₹ लाख में)		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2017–18	समय–सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम	समय–सीमा
				राजस्व	पूंजीगत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निदेशन एवं प्रशासन									
1	**निदेशन तथा प्रशासन**	**"सभी के लिए स्वास्थ्य"** विजन पूर्ण करने हेतु मानव संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, औषधि व्यवस्था एवं लोक निजी सहभागिता के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना	राज्य पोषित	3407.53	–	महानिदेशालय के 292 कार्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान/राज्य के सरकारी चिकित्सालयों हेतु आवश्यक औषधि उपलब्ध कराना/लोक निजी सहभागिता से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना/राष्टीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना	2017–18	राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ एवं आसान बनाना।	2019–20
नियोजन									
2	**प्रा0स्वा0केन्द्र,सामु0स्वा0 केन्द्र, संयुक्त चिकित्सालय, ट्रॉमा सेण्टर, ब्लड बैंक, स्वा0 उपकेन्द्रों की स्थापना एवं** **गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना**	प्राथमिक स्वा0सेवाएं, विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं, दुर्घटनाग्रस्त जनमानस को आपातकालीन सेवाएं, रक्त संचरण से सम्बन्धित सेवाएं, मातृ एवं शिशु कल्याण से सम्बन्धित सेवाएं एवं नेत्र से सम्बन्धित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।	राज्य पोषित	68655.58	–	प्रा0स्वा0केन्द्र– 16, सामु0स्वा0केन्द्र– 07, सयुंक्त चिकित्सालय–01, ट्रॉमा सेण्टर– 03, ब्लड बैंक– 03, स्वास्थ्य केन्द्र– 32, गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र– 01 के अन्तर्गत पदों के सृजन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।	2017–18	1. पदों के सृजन के पश्चात गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। 2. सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी लायी जायेगी।	2019–20
निर्माण									

3	**निर्माण कार्य**	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध कराना।	राज्य पोषित	0	2545.02	शव विच्छेदन गृह–01, ब्लड बैंक– 03, ट्रॉमा सेण्टर– 03, सी0एम0ओ0 कार्यालय भवन–01, बेस चिकित्सालय– 06	2017–18	सम्बन्धित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ होगी।	2019–20
				सूचना संचार शिक्षा					
4	**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं एवं उनका प्रचार– प्रसार**	• "सभी के लिए स्वास्थ्य" विषयक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार रणनीति का क्रियान्वयन। • संचारी, गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार–प्रसार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति मांग का सृजन।	राज्य पोषित	50.00	0	महानिदेशालय स्तर पर कार्यशील आई0ई0सी0 सैल द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जाना।	2017–18	लोक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की बृहद स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होगी एवं स्वास्थ्य योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मांग सृजित होगी।	2019–20
				लेक निजी सहभागिता					
5	**लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0)मोड के अर्न्तगत संचालित विभिन्न चिकित्सा ईकाइयां/सेवाएं उपलब्ध कराना।**		राज्य पोषित	5100.00	–	पर्वतीय, दूरदराज एवं असेवित क्षेत्रो में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	2017–18	विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा (मुख्य रूप से विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं) को प्राप्त करने और पर्वतीय, दूरदराज एवं असेवित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।	2019–20
				स्वास्थ्य					
6	**तीर्थ यात्रा/मेले/दैवीय आपदा**	तीर्थ यात्रियों को यात्राकाल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना	राज्य पोषित	204.01	0	तीर्थ यात्रियों/मेले/दैवीय आपदा के दौरान मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।	2017–18	तीर्थ यात्रिओं/मेले/दैवीय आपदा के दौरान प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी/कर्मी द्वारा मरीजों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी एवं यात्रा काल में विभिन्न कारणों से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकेगा।	2019–20

					राज्य व्याधि निधि सहायता				
7	राज्य व्याधि सहायता निधि	राज्य व्याधि सहायता निधि से राज्य में निवास कर रहे बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार के व्यक्तियों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार के लिये 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।	राज्य पोषित	100.00	0	राज्य व्याधि सहायता निधि से राज्य में निवास कर रहे बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार के व्यक्तियों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार के लिये 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।	2017–18	2017–18 में भी राज्य में स्थित बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार के लाभार्थियों को निधि के अन्तर्गत चिन्हित घातक बीमारियों में प्रति लाभार्थी 1.5 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा।	2019–20
					राष्ट्रीय कार्यक्रम				
8	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन	केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।	केन्द्र पोषित	13776.84	0	केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।	2017–18	केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।	2019–20
9	**N.H.M**	90% केन्द्र पोषित / 10% राज्य पोषित		28625.11					
	प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम	प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशु मृत्यु दर का कम करना तथा टीकाकरण कर समस्त बच्चों का जानलेवा बिमारियों से बचाना पल्स पोलियो कार्यक्रम के अर्न्तगत समय–समय पर अभियानों का आयोजन तथा सुनिश्चित करना कि राज्य में कोई पोलियो का केस न हाने पावे।	केन्द्र पोषित	28625.11		इस कार्यक्रम में राज्य के 11086 आशा वर्कर, 2084 ए0एन0एम0, 550 आशा फैसिलेटर तथा लगभग 600 हैल्थ सुपरवाजर कार्य करेगीं। साथ ही जनपदो के मलिन एंव असेवित क्षेत्रों में विशेष सेशन आयोजित किये जाने हैं। वर्ष 2017–18 हेतु लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुये हैं। अतएव विगत वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों के आधार पर ही उपलब्धि प्राप्त की जानी प्रस्तावित हैं।	2017–18	राज्य की शिशु मृत्यु दर वर्तमान 28/1000 से 25/1000 करना तथा तथा मातृ मृत्यु दर वर्तमान 165/100000 से 100/100000 तक लाना तथा प्रतिरक्षण कवरेज को शत–प्रतिशत तक लाने के साथ–साथ प्रदेश को पोलियो मुक्त रखना।	2019–20
	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम	नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर को 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना एवं बनाये रखना और नये रोगियों की व्यापकता को कम करने के लिये उन्मूलन स्थिति तक पंहुचाना	राज्य पोषित			नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर को 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना एवं बनाये रखना और नये रोगियों की व्यापकता को कम करने के लिये उन्मूलन स्थिति तक पंहुचाना।	2017–18	सक्सेस दर में 90 प्रतिशत तक का सुधार करना एवं केस नोटिफिकेशन दर में 150 प्रति लाख तक सुधार किया जाएगा।	2019–20

	राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम	कुष्ट रोग की व्यापकता दर कम करना।	केन्द्र पोषित			भारत सरकार द्वारा 3 आयामी रणनीति सृजित की गयी है, जिससे कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समय से चिन्हित कर उपचार में लाया जा सके एवं समाज		1. वार्षिक नये खोजे गये रोगी दर 10 प्रति लाख की जनसंख्या से कम करना। कुष्ट रोग की व्यापकता दर 1	
						में कुष्ट रोग को फेलने से रोका जा सके।	2017–18	2. प्रति 10000 की जनसंख्या से कम करना।	2019–20
	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	दृष्टिविहीनता की व्यापक्ता दर को 2020 तक 0.3 प्रतिशत लाना।	केन्द्र पोषित			• नेत्र शल्यक, को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर तथा चिकित्सालयों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की सेवायें प्रदान की जायेगी। • स्वयंसेवी संस्थाओं तथा निजी नेत्र सर्जन की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। • आई0ई0सी के अन्तर्गत नेत्रदान पखवाड़ा तथा ग्लूकोमा के लिये प्रचार–प्रसार किया जायेगा। • महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून में एक नेत्र कोष की स्थापना की जायेगी।	2017–18	भारत सरकार द्वारा आंबटित लक्ष्य–व्यापकता दर को 0.3 प्रतिशत तक लाना।	2019–20
	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम करना। डेंगू की व्यापकता कम करना।	केन्द्र पोषित			• रोगियों का त्वरित जांच एवं उपचार। • व्यापक प्रचार प्रसार। • फॉगिंग, स्प्रे एवं कीटनाशक छिडकाव। • सोर्स रिडक्शन, फॉगिंग, स्प्रे एवं कीटनाशक छिडकाव।	2017–18	वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम बनाये रखना। डेंगू की व्यापका कम करना।	2019–20
	मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम	मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना	केन्द्र पोषित			1. संस्थागत प्रसव में बढोतरी हेत		मतृ–मृत्यु अनुपात (MMR)का	2019–20
						2.			

						3. राज्य के तीन जनपदों हरिद्वार, टिहरी, एवं पौड़ी के प्रसव कक्ष एवं पी0एन0सी0 वार्ड का सुदृढीकरण करना। 4. राज्य में प्रसव पूर्व देखभाल जैसे जन्म से पूर्व की तैयारी, गंभीर रक्ताल्पता की महिलाओं को चिन्हित करना और उच्च जोखिम के मामलों एवं रक्ताल्पता का उपचार गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराना 5. PMSMA योजना का बेहतर क्रियान्वयन एवं सरकारी संस्थाओं में निजी चिकित्तसकों के द्वारा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना 6. MDR समीक्षा के माध्यम से मातृ मुत्यु के कारणों की पहचान करना एवं चिकित्सा सेवा में अंतर को कम करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही कराना। 7. JSY और JSSK योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को उचित देखभाल उपलब्ध कराना। 8. HPDs (हरिद्वार, टिहरी एवं पौड़ी) मे संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहित करना।		वर्तमान 165/100000 जीवित जन्म से 100/100000 जीवित जन्म तक घटाना (SDG लक्ष्य वर्ष–2020)	
	शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना				1. बाल्यावस्था के दोरान डायरिया की	2017–18	नवजात मृत्यु दर को वर्तमान	2019–20
						2. चिकित्सा के लिए ORS और Zinc का प्रावधान करना। 3. बीमार नवजात शिशुओं को विभिन्न स्तर जैसे NBSU/SNCUमें चिकित्सा उपलब्ध कराना। 4. JSSK योजना के अन्तर्गत शिशुओं को आकस्मिक चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सालय से घर तक पहुचाने		28/1000 से 25/1000 तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर वर्तमान 48/1000 से 36/1000 जीवित जन्म तक घटाना (SDG लक्ष्य वर्ष–2020)	

						की सुविधा उपलब्ध कराना।			
	NPCDCS (National Programme for Control of Diabetise, Cancer and Stroke)	जीवन–शैली तथा आचरण परिर्वतन द्वारा गैर संचारी रोगो की रोकथाम, निदान तथा ईलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर सुदृढीकरण करना। गैर संचारी रोगियों को पुर्नवास तथा पैलेटिव केयर प्रदान करने हेतु संसाधन विकसित करना।				जीवन–शैली तथा आचरण परिर्वतन द्वारा गैर संचारी रोगो की रोकथाम, निदान तथा ईलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर सुदृढीकरण करना। गैर संचारी रोगियों को पुर्नवास तथा पैलेटिव केयर प्रदान करने हेतु संसाधन विकसित करना।	2017–18	जनपद स्तर पर गैर संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रशिक्षित ए0एन0एम0/आशा के माध्यम से शीघ्र जॉच तथा उपचार की सुविधा प्राप्त करवाना।	2017–18
	NTCP (National Tobaco Control Programme)	कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना। प्राधिकृत अधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारी/अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति प्रशिक्षित करना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियॉ आयोजित करना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करना। तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना।				कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना। प्राधिकृत अधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारी/अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति प्रशिक्षित करना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियॉ आयोजित करना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करना। तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना।	2017–18	जनपद स्तर पर टास्क फोर्स के गठन से धारा–4, 5, 6 तथा 7 का प्रभावी रूप से कियान्वयन होगा, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कम होगा। सभी जनपदों में नशा उन्मूलन केन्द्र स्थापित होंगे। जनपद स्तर पर सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूता कार्यक्रमों के आयोजन से छात्र तथा छात्रा जागरूक होंगे।	2017–18

	NPPCD	चोट अथवा बीमारी के कारण श्रवण ह्रास की रोकथाम। बीमारी की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार। बीमारी से ग्रसित सभी आयु वर्ग के रोगियों का पुनवार्स। बधिरता व्यक्तियों के व वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण। संस्थानों का उपकरणों, सामग्री व प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।				चोट अथवा बीमारी के कारण श्रवण ह्रास की रोकथाम। बीमारी की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार। बीमारी से ग्रसित सभी आयु वर्ग के रोगियों का पुनवार्स। बधिरता व्यक्तियों के व वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण। संस्थानों का उपकरणों, सामग्री व प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।	2017–18	उपकेन्द्र, पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 स्तर पर ENT Equipments उपलब्ध होंगे, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।	2017–18
	NPHCE	प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनकी समस्याओं का निदान, उनकी रोकथाम तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाईयों को पहचानकर उनका उचित निदान करना तथा उच्च संस्थानों को सन्दर्भित करना। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के मानव–संसाधनों तथा परिवार के सदस्यों को प्रषिक्षण प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों को जिला चिकित्सालयों तथा क्षेत्रीय चिकित्सालयों के द्वारा सन्दर्भित सेवाएं प्रदान करना।				प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनकी समस्याओं का निदान, उनकी रोकथाम तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करना।	2017–18	जिरिएटिक वार्ड की स्थापना से वृद्ध नागरिकों की स्वास्थ्य देखाभाल होगी तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर वृद्ध नागरिकों के लिए Aid & Appliances उपलब्ध होंगे।	2017–18
	NMHP	मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उपचार प्रदान करना। जनता में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।				मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उपचार प्रदान करना। जनता में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	2017–18	जनपद स्तर पर चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टॉफ प्रशिक्षित होंगे। जनपद ऊधमसिंहनगर में मेन्टल वार्ड की स्थापना से मानसिक रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल होगी।	2019–20

	NOHP	ओरल हैल्थ की सेवाओं का सुदृणीकरण। मूँह से सम्बन्धी बीमारियों को रोकना। अन्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को बेहतर बनाना। लोक निजि सहभागिता के माध्यम से ओरल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।				ओरल हैल्थ की सेवाओं का सुदृणीकरण। मुंह से सम्बन्धी बीमारियों को रोकना। अन्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को बेहतर बनाना। लोक निजि सहभागिता के माध्यम से ओरल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।	2017–18	जनपद स्तर पर कैम्प आयोजित किये जायेंगे, जिसमें डेन्टल सर्जन द्वारा मुंह के रोगों की जांच होगी।	2019–20
	ड्राप बैक (खुशियो की सवारी)	प्रसूता एवं नवजात शिशु को सरकारी संस्थाओं से घर तक सुरक्षित पहुचाने की सुविधा				प्रसूता एवं नवजात शिशु को सरकारी संस्थाओं से घर तक सुरक्षित पहुचाने की सुविधा	2017–18	सरकारी संस्थाओं मे संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव से लाभान्वित माताओं की संख्या मे वृद्धि होगी व शिशुओं की उचित देखभाल होगी। प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु में कमी आयेगी।	2019–20
	पिक–अप (गर्भवती महिला एवं 0–01 वर्ष के शिशु हेतु)	गर्भवती महिलाओं को घर से सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा				गर्भवती महिलाओं एवं 0–01 वर्ष के शिशुओं को घर से सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा उपलब्ध कराना।	2017–18	संस्थागत प्रसव को बढावा मिलेगा एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आयेगी।	2019–20
	OPEX–122 BLS and OPEX–17 ALS एम्बुलेंन्स (108 आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा)	आकस्मिक चिकित्सा सहायता तथा नजदीकी सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा				आकस्मिक चिकित्सा सहायता तथा नजदीकी सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा हेतु। वर्तमान में उक्त योजना के तहत 122 BLS एवं 17 ALS एम्बुलेंन्सों के द्वारा सेवाऐं प्रदान की जा रही है।	2017–18	संकट की घडी में जनता को आकस्मिक चिकित्सा सहायता पहुचाने तथा नजदीकी चिकित्सालय तक ले जाने के लिए 108 आपातकालीन निशुल्क सेवा संचालित की जा रही है।	2017–18
	मोबाईल मेडिकल यूनिट	दूरस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता				दूरस्थ क्षेत्रों में कैम्प लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। वर्ष 2017–18 में 3498 कैम्प लगाये जाएंगे।	2017–18	दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों के जनमानस को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	2017–18
	"चिकित्सा सुविधा आपके द्वार" **<u>विशेषज्ञ चिकित्सा</u>**	सुदूर असेवित ब्लॉक में गम्भीर रोगियो का चिन्हिकरण, निदान व उपचार।				– सुदूर असेवित ब्लॉक में गम्भीर रोगियो का चिन्हिकरण, निदान व उपचार। – रोगियो को चिन्हित कर मुख्यमंत्री	2017–18	सुदूर एवं असेवित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उलब्ध कराई जायेंगी।	2017–18

	शिविर					स्वास्थ बीमा के माध्यम से निशुल्क उपचार हेतु संदर्भण। – गैर संचारी रोगो के प्रति जागरुकता एवं शीध्र निदान।			
	राष्ट्रीय नि:शुल्क जॉच योजना	जिला/उपजिला स्तर की चिकित्सा इकाइयों में मरीजों की नि:शुल्क पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी नैदानिक जांचे कराना।				जिला/उपजिला स्तर की चिकित्सा इकाइयों में कुल 30 नैदानिक जॉचे (Diagnostic Test) नि:शुल्क की जाएंगी ।	2017–18	राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक की समस्त चिकित्सा इकाईयों में न्यूनतम कुल 19 नैदानिक जॉचो (Diagnostic tests) को नि:शुल्क किया जाना। नैदानिक जांच के उपरान्त मरीज का उपचार किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार उच्च संस्थान हेतु सन्दर्भित किया जाएगा।	2017–18
	टेलीरेडियोलॉजी	राज्य की कुल 37 चिन्हित चिकित्सा इकाई में (जिसमें 27 जिला/उपजिला चिकित्सालय तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित है) में टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।				राज्य की कुल 37 चिन्हित चिकित्सा इकाई में (जिसमें 27 जिला/उपजिला चिकित्सालय तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं) में टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।	2017–18	राज्य के सूदूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीरेडियोलॉजी सेवा से निदान कर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।	2019–20
	हिमोग्लोबीनोपैथी कार्यकम/ ए0बी0डी0	रक्त विकार/ हिमोग्लोबीनोपैथी हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में रोकथाम, नियत्रंण एवं जागरूकता अभियान संचालित करना।				रक्त विकार/ हिमोग्लोबीनोपैथी हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में रोकथाम, नियत्रंण एवं जागरूकता अभियान संचालित करना।	2017–18	1. प्राथमिक फेस पर 80 :प्रतिशत बच्चो के जन्मजात रक्त विकार रोगो की रोकथाम की जा सकेगी। 2 थैलेसिमिया रोगियों का उपचार किया जाएग एवं iron chelator	

								प्रदान किये जाएंगे। 3.किशोर/किशोरियो हेतु सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में जांच के द्वारा 80 प्रतिशत बच्चों में हिमोग्लोबीनोपैथी की जाँच की जाएगी। 5. समस्त जनपदों में थैलेसिमिया/एनीमिया एवं रक्तदान हेतु जागरुकता कार्यक्रमो के सफल संपादन के पश्चात थैलेसिमिया/अनीमिया की रोकथाम एवं निवारण में सहायक सिद्ध होगा। 5. हीमोफिलिया रोगियो हेतु Coagulation factors प्रदान कर हीमोफिलिया रोगियो के आर्थिक, मानसिक एवं हीमोफिलिया रोगियो की मृत्यु दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।	2017–18
	प्रशिक्षण N.H.M.	चिकित्साधिकारियों, स्टाफ नर्स, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के ज्ञान, कौशल में अभिवृद्धि एवं सशक्तिकरण किया जाना।	केन्द्र पोषित			चिकित्साधिकारियों, स्टाफ नर्स, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के ज्ञान, कौशल में अभिवृद्धि एवं सशक्तिकरण किया जाना,	2017–18	1. ज्ञान एवं कार्यक्षमता में सुधार 2. उपचार की सफलता दर में सुधार 3. मातृ मृत्यु दर/शिशु मृत्यु	2019–20

						जिनमें से:– चि0अ0– 50 स्टाफनर्स– 150 ए0एन0एम0 / एल0एच0वी0– 200 आशा– 200 को प्रशिक्षण दिया जाएगा।		दर में कमी लाना 4. सम्पूर्ण प्रतिरक्षण में वृद्धि 5. संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव 90 प्रतिशत 6. परिवार कल्याण कार्यक्रम की अवधारणा एवं अस्थाई विधियों को अपनाये जाने को बढावा दिया जाना 7. आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के स्कूली छात्रों की बीमारियों की शीघ्र हचान एवं उपचार प्रदान किया जाना	
	ब्लड सैल	ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार रक्तकोषो तथा रक्त संग्रहण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान करके उन्हें लाइसेंस आवेदन करने की स्थिति तक पहुचना तथा उन्हे सामान्य कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान करना।				**<u>1.मानव संसाधन</u>** <u>लैब टेक्नीषियन– 25</u> **<u>2.कम्पोनेन्ट सेपरेटर–3</u>** राज्य में 3 रक्तकोषो को उच्चीकृत कर नई कम्पोनेन्ट सेपरेटर यूनिट उपलब्ध कराना। **<u>3.नया रक्तकोष स्थापित करना–1</u>** रामनगर में नया रक्तकोष स्थापित करना **<u>4.रक्तकोषो में कन्जूमेंबल उपलब्ध कराना</u>** **<u>5.ब्लड कलैक्षन एवं ट्रांसपोर्टेषन वैन–2</u>** उपरोक्त हेतु ब्लड सेल में उपलब्ध कराना।	2017–18	ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार रक्तकोषो तथा रक्त संग्रहण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान करके उन्हें लाइसेंस आवेदन करने की स्थिति तक पहुचना तथा उन्हे सामान्य कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान करना।	2017–18
	इन्टेग्रेटिड डीजिज सर्विलेन्स प्रोग्राम	• सिन्ड्रोमिक रिर्पोटिग (S Form) ≥ 75% , प्रिसम्पटिव रिपोर्टिग (P				• सिन्ड्रोमिक रिर्पोटिग (S Form) ≥ 75% , प्रिसम्पटिव रिपोर्टिग	2017–18	• सभी आउटब्रेक का 48 घण्टो मे इन्वेसटिगेशन – 100%	2019–20

		Form) ≥ 85% , लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) ≥ 85% ● एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण				(P Form) ≥ 85% , लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) ≥ 85% ● एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण		● सिन्ड्रोमिक प्रिसम्पटिव व लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग के अन्तर्गत सभी रिपोर्टिंग यूनिटो की रिपोर्टिंग को > 90% करना।	
10	**राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम**	1. उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई.वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य करना। 2. उत्तराखण्ड राज्य में एच.आई.वी. संक्रमित समस्त व्यक्तियो को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध कराना।	केन्द्र पोषित	375.06	–	● उच्च जोखिम व्यवहार वाले समूहो के मध्य एनजीओ के माध्यम से टारगेटेड इन्टरवेन्शन कार्यक्रम द्वारा एचआईवी संक्रमण की रोकथाम करना। ● एच.आई.वी. की रोकथाम व नियंत्रण हेतु बृहद व प्रभावी प्रचार–प्रसार करना। ● एचआईवी की निःशुल्क परामर्श, जांच की सुविधा उपलब्ध करना। ● यौन रोगो से सम्बन्धित परामर्श, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना। ● एचाआईवी मुक्त उक्त की उपलब्धता हेतु स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रेरित करना। ● एच.आई.वी. सक्रमित व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना। ● एच.आई.वी./एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगो के साथ भेदभाव न हो इसके लिए प्रयास करना।	2017–18	3. उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई.वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य किया जाएगा। 4. उत्तराखण्ड राज्य में एच.आई.वी. संक्रमित समस्त व्यक्तियो को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।	2030
111	मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य बीमा योजना	चिकित्सा उपचार में होने वाले अत्यधिक व्यय को कम करना	राज्य पोषित	8210.01		योजना के अन्तर्गत पंजीकृत 13 लाख पात्र परिवारों को (आयकरदाता, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी को छोड़कर) निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करना।	2017–18	योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।	2017–18
12	यू0 हैल्थ योजना	उत्तराखण्ड राज्य के हैल्थ कार्ड धारक राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों को नकद रहित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	राज्य पोषित	725.00	0	1. यू0 हैल्थ योजना के अन्तर्गत कार्मिकों को आच्छादित कर कार्ड निर्गत करना 2. नये चिकित्सालयों को पंजीकृत करना 3. चिकित्सालयों का समयबद्ध भुगतान करना।	2017–18	उत्तराखण्ड राज्य के हैल्थ कार्ड धारकों एवं उनके आश्रितों को पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।	2017–18
13	हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजनाएं	जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेन्ट करना।	बाह्य सहायतित	12000.00	0	जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेन्ट करना।	2017–18	हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट से प्रदेष में अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जा सकेगी।	2019–20